



राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन 2025—2026

कारागार विभाग,
राजस्थान, जयपुर



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन

2025—26

कारागार विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	कारागार विभाग का उद्देश्य	1
2.	बंदी क्षमता एवं संख्या	1
3.	सुधारात्मक व्यवस्थाएं एवं कार्यक्रम	2
	3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)	2
	3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई	2
	3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण	3
	3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई	4
	3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण	4
	3.6 कारागृह उद्योग	5
	3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम	6
	3.7.1 साक्षरता	6
	3.7.2 उच्च शिक्षा	6
	3.7.3 इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	7
	3.7.4 तकनीकी शिक्षा	7
	3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा	9
	3.9 बंदी कल्याण कोष	9
	3.10 बंदी बैण्ड	9
	3.11 अन्य कार्यक्रम	10
4.	चिकित्सा एवं सुविधाएं	10
5.	मानव संसाधन	12
	5.1 प्रशिक्षण	14
	5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास	15
	5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि	15

6.	नवाचार	16
	6.1 ई-प्रिजन्स एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	16
	6.2 ई-मुलाकात	16
	6.3 Custody Certificate	17
	6.4 राजकाज पोर्टल	17
	6.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	17
	6.6 जेल भवन	17
	6.7 Prison Inmate Calling System	17
	6.8 बंदियों को पेट्रोल पम्प कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना	18
	6.9 वाहन एवं संसाधन	18
7.	विभाग का स्वीकृत बजट, आय व्यय का विवरण	19

**कारागार विभाग का प्रशासनिक एवं प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2025**

1. कारागार विभाग का उद्देश्य

न्यायालय द्वारा अभिरक्षा में भेजे गये व्यक्तियों को समुचित अभिरक्षा में रखना, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का पालन करते हुए बंदियों में विधि के प्रति समानता का भाव जागृत करना तथा अभिरक्षा में ऐसी शिक्षा देना एवं कार्य सिखाना जिससे वे रिहा होने के पश्चात् उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हुए राष्ट्र के उपयोगी नागरिक के रूप में समाज में पुनर्स्थापित हो सकें।

2. बंदी क्षमता एवं संख्या

राज्य में केन्द्रीय कारागृह (9), उच्च सुरक्षा कारागार (1), विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (1), जिला कारागृह "ए" श्रेणी (2), जिला कारागृह "बी" श्रेणी (31), उप कारागृह (53), खुला बंदी शिविर (52), महिला बंदी सुधारगृह (7), किशोर बंदी सुधारगृह (1), कुल 157 कारागृह हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 23770 है।

वर्ष 2025 (31.12.2025 को) में राज्य की समस्त कारागृहों में कुल 24541 बंदी निरूद्ध थे, जिनमें 17908 विचाराधीन बंदी, 6584 दण्डित बंदी, 47 सिविल बंदी तथा 2 डेटेन्डू बंदी थे। गत 5 वर्षों में राज्य में निरूद्ध बंदियों की संख्या तुलनात्मक रूप से निम्नानुसार है :-

वर्ष	बंदी क्षमता	विचाराधीन बंदी	दण्डित बंदी	सिविल बंदी	डेटेन्डू बंदी	कुल बंदी
2021	22897	17954	4962	18	4	22938
2022	22963	19233	5377	43	6	24659
2023	23288	17264	5434	56	2	22756
2024	23454	17819	6358	48	8	24233
2025	23770	17908	6584	47	2	24541

3. सुधारात्मक व्यवस्थाएं एवं कार्यक्रम

3.1 बंदियों को कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल)

बंदियों में अनुशासन एवं सदाचरण की भावना विकसित करने के उद्देश्य से इन्हें कारावास कालीन अवकाश सुविधा (पैरोल) प्रदान की जाती है।

विभाग में वर्ष 2023 से 2025 की अवधि में बंदियों को राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 1958 एवं राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 2021 (अधिसूचना दिनांक 29.06.2021 लागू दिनांक 30.06.2021) में प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत पैरोल का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

पैरोल स्वीकार कर्ता	रिहा किये गये बंदियों की संख्या		
	वर्ष 2023	वर्ष 2024	वर्ष 2025
जिला पैरोल समिति द्वारा स्वीकृत नियमित पैरोल	878	524	618
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार द्वारा दिया गया आपात पैरोल	0	0	0
संबंधित अधीक्षक द्वारा दिया गया आपात पैरोल	27	12	18
संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा दिया गया आपात पैरोल	88	65	73
संबंधित न्यायालयों के आदेशों से पैरोल पर रिहा	112	176	149
राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पैरोल समिति की अनुशंसा पर स्थाई पैरोल पर रिहा	149	147	146
योग	1254	924	1004

3.2 बंदियों की समय पूर्व रिहाई

सजा भुगतने के दौरान बंदियों में हुए सुधार को दृष्टिगत रखते हुए शेष सजा माफ कर समय पूर्व रिहा करके इन्हें समाज में पुर्नस्थापन का अवसर दिया जाता है।

राजस्थान कैदी (सजाओं को कम करना) नियम, 2006 के अन्तर्गत दण्डित बंदियों के समय पूर्व रिहाई के मामलों पर विचार कर अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर सलाहकार मंडलों का गठन किया गया है। सलाहकार मण्डल बंदियों के समय पूर्व रिहाई प्रकरणों पर विचार कर बंदियों को छोड़े जाने/न छोड़े जाने की सिफारिश राज्य सरकार को करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सलाहकार मण्डल की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में क्रमशः 12, 15 एवं 119 कुल 146 बंदियों को समय पूर्व रिहा किया गया है।

3.3 बंदियों का खुले बंदी शिविरों में स्थानान्तरण

बंदियों में अच्छे एवं स्व-अनुशासन के आचरण को बढ़ावा देने के लिए रिहाई से पूर्व खुले बंदी शिविरों में रखकर इन्हें सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक रूप से स्वनिर्भरता अर्जित करने का अवसर दिया जाता है। राजस्थान बंदी खुला शिविर नियम, 1972 के नियमों के अन्तर्गत राज्य की कारागृहों के ऐसे बंदियों को जिन्होंने अपनी कुल सजा का 1/3 भाग रेमीशन सहित पूरा कर लिया है और जिनका आचरण कारागृहों में अच्छा रहा है, को राज्य स्तरीय वरिष्ठता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर खुले शिविरों में भेजा जाता है।

खुले बन्दी शिविरों में बन्दी स्वयं की रुचि के उद्यम अपनाकर या सामान्य श्रमिक की भांति मजदूरी करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। खुले शिविरों के बंदियों को उनके द्वारा अर्जित राशि स्वयं के पास रखने, स्वयं के लिए आवास व भोजन व्यवस्था पर व्यय करने एवं बचत को अपने परिवार वालों को भेजने की पूर्ण सुविधा है। बंदियों को खुले शिविरों पर अपने परिवार के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी वहन कर सकें एवं उनका परिवार विघटित होने से बच सकें। यह शिविर जेल व समाज के बीच कड़ी के रूप में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं। इससे न केवल बंदी को जेल में होने वाले तनाव से छुटकारा मिलता है, बल्कि बंदी पर होने वाले सरकारी खर्च में भी बचत होती है। यह बंदी को खुला रखने पर उसके आचरण का परीक्षण होता है। यदि बंदी सही आचरण नहीं रखता है तो पुनः जेल भेज दिया जाता है। राजस्थान के खुला बंदी शिविर पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुके हैं तथा माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को इस व्यवस्था को अपनाने हेतु निर्देशित किया है। यह अपने आप में कारागार विभाग के लिए गौरव की बात हैं।

दिनांक 31.12.2025 को 51 खुले बंदी शिविर संचालित किये जा रहे हैं, जिनकी कुल बंदी क्षमता 1668 है एवं 1082 बंदी निवासरत हैं। वर्ष 2025 में 281 बंदियों को राज्य के विभिन्न बंदी खुला शिविरों में भिजवाया गया।

3.4 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहाई :-

राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 1958 के संशोधित नियम 1994 के प्रावधानानुसार कारागृहों में निरूद्ध दण्डित बंदी जिनके द्वारा 20, 30 एवं 40 दिवसीय नियमित पैरोल का संतोषजनक रूप से उपभोग कर लिया है, ऐसे बंदियों को नियम-9 के तहत स्थाई पैरोल पर रिहा किया जाने का प्रावधान है। वर्ष 2023 से 2025 (31.12.2025 तक) एवं राजस्थान कैदी कारावास कालीन अवकाश नियम, 2021 के नियम-10 के प्रावधानानुसार (अधिसूचना दिनांक 29.06.2021 लागू दिनांक 30.06.2021) कुल 320 बंदियों को स्थाई पैरोल पर रिहा किया गया है, जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	कारागृहों से स्थाई पैरोल पर रिहा किये बंदियों की संख्या
2023	130
2024	147
2025	43

3.5 विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों का पुनरीक्षण

कारागृह में बंद विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों की आवधिक समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में एक समिति गठित है। इस समिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अध्यक्ष, जिला मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि, पुलिस अधीक्षक का प्रतिनिधि, जिला परिवीक्षा अधिकारी, सहायक निदेशक अभियोजन, सदस्य व प्रभाराधिकारी, कारागृह सदस्य सचिव होते हैं। इस समिति द्वारा नियमित बैठक कर लंबी अवधि से विचाराधीन रहते हुए न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे बंदियों के प्रकरणों की समीक्षा की जाकर प्रकरणों के निस्तारण बाबत सुझाव दिए जाते हैं। इस समिति द्वारा अधिकतम सजा के आधे भाग के बराबर विचाराधीन अवधि वाले बंदी के प्रकरण पर जमानत/अंतिम निस्तारण के बारे में विचार किया जाकर निर्णय लिया गया है। गत तीन वर्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या	समिति के समक्ष रखे गये प्रकरणों की संख्या	समिति द्वारा जमानत/अंतिम निस्तारित प्रकरणों की संख्या
2023	664	57861	666
2024	201	41974	361
2025	339	44375	236

3.6 कारागृह उद्योग

राज्य की 10 कारागृहों में दंडित बंदियों को विभिन्न व्यवसायों यथा दरी, निवार, कपड़ा बुनाई, सिलाई, कारपेन्ट्री, हॉजरी, लुहारी, फिनाईल, झाड़ू एवं पौछा, आदि कार्यों में प्रशिक्षित किया जाता है। कपड़ा बुनने के लिए पॉवर चलित मशीनें केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं अजमेर पर स्थापित हैं, जहाँ बंदियों के वस्त्र वर्दी निर्माण हेतु कपड़े का निर्माण किया जाता है। राज्य की दो केन्द्रीय कारागृहों (जोधपुर, उदयपुर) में डेजर्ट कूलर, लोहे की चारपाई, आलमारी एवं लोहे का फर्नीचर आदि निर्मित करने हेतु उद्योग प्रारंभ कर बंदियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की हुई है। कारागार उद्योगों में प्रशिक्षित होने के उपरान्त बंदियों द्वारा उत्पादन का कार्य भी किया जाता है।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर एवं वि.के.का. श्यालावास,दौसा की उद्योगशालाओं में जॉब वर्क के आधार पर बंदियों को श्रम उपलब्ध कराये जाने हेतु निजी संस्थान (जयपुर रग्स फाउंडेशन) से एम.ओ. यू. कर गलीचा/कालीन निर्माण कार्य केन्द्रीय कारागृह जयपुर, अजमेर, अलवर व वि.के.का. श्यालावास, दौसा में प्रारम्भ किया जा रहा है।

उद्योगों में बंदियों को दो श्रेणियों में (अकुशल व कुशल) विभक्त कर अकुशल श्रमिक को 130/- रुपये एवं कुशल श्रमिक को 150/- रुपये प्रति दिवस का नियत कार्य पूरा करने पर पारिश्रमिक राशि का भुगतान किया जाता था, जिसे आदेश दिनांक 22.01.2021 के द्वारा संशोधित किया जाकर कुशल बंदी श्रमिक की न्यूनतम पारिश्रमिक राशि 180 रुपये एवं अकुशल बंदी श्रमिक की राशि 156 रुपये निर्धारित की गई थी। वर्तमान में दिनांक 01.04. 2025 से संशोधित किया जाकर कुशल बंदी श्रमिक की न्यूनतम पारिश्रमिक राशि 240 रुपये

एवं अकुशल बंदी श्रमिक की राशि 216 रूपये निर्धारित की गई है। इस राशि में से 25 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को भुगतान हेतु आरक्षित रखने का प्रावधान है। वर्ष 2023 से 2025 तक राज्य के कारागृहों की उद्योगशाला में बंदियों द्वारा वर्षवार निम्नानुसार उत्पादन किया गया :-

वर्ष	राज्य की उद्योगशालाओं में उत्पादन
2023	रु. 0.84 करोड़
2024	रु. 0.93 करोड़
2025	रु. 2.31 करोड़

3.7 कारागृहों में शैक्षणिक कार्यक्रम

3.7.1 साक्षरता

निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने के राज्य सरकार के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य की कारागृहों में भी शिक्षित बंदियों द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर करने के लिये प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर राज्य प्रौढ़ शिक्षा समिति एवं राजस्थान शिक्षा प्रसार समिति द्वारा भी साक्षरता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ) के सहयोग से भी बंदियों को साक्षर करने के कार्यक्रम चलाये जाते हैं। राज्य की बड़ी कारागृहों में जहां अधिक संख्या में बंदी रहते हैं, बंदी बैरकों को आखरधाम के रूप में अभिहित कर साक्षरता को अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। वर्ष 2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक) में कुल 6954 बंदियों को साक्षर किया जा चुका है।

3.7.2 उच्च शिक्षा

बंदियों को कारागृह में रहते हुए अपनी शैक्षणिक योग्यता में उन्नति करने के लिए औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में बैठने की सुविधाएं सुलभ कराई जाती हैं जिसके अन्तर्गत वर्ष 2023 से 2025 तक विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले बंदियों का विवरण निम्न है:-

परीक्षा का नाम	वर्ष 2023-24 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2024-25 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या	वर्ष 2025-26 में सम्मिलित होने वाले बंदियों की संख्या
सैकेण्डरी	—	31	00
सीनियर सैकेण्डरी	—	01	00
स्नातक	4	18	11
स्नातकोत्तर	6	04	15
अन्य परीक्षा	35	140	35
योग	45	194	61

3.7.3 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU)

IGNOU के अधिकांश पाठ्यक्रम बंदियों को रोजगार दिलाने में सहायक हैं। इससे बंदी स्वावलम्बी हो सकेंगे एवं कारागृहों से रिहा होने के बाद समाज में पुर्नस्थापित होकर अपना स्थान बना सकेंगे। वर्तमान में 13 कारागृहों पर इग्नू सेन्टर संचालित हैं।

वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि में IGNOU द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में राज्य के कारागृहों में निरुद्ध बंदियों ने निम्नानुसार वर्षवार अध्ययन हेतु प्रवेश लिया, जिनका विवरण निम्न है:-

वर्ष	सम्मिलित बंदियों की संख्या
2023-24	1121
2024-25	917
2025-26	2089

3.7.4 तकनीकी शिक्षा

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, अलवर पर बंदियों को तकनीकी शिक्षा दिया जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं। इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बंदियों को तकनीकी शिक्षा दी जाकर रोजगार हेतु सक्षम करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केन्द्रीय कारागृह, कोटा पर स्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं किया जा सका है।

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दंडित बंदियों को सजा भुगतते हुए फिटर, कारपेन्टर, कटिंग एवं स्वीईंग एवं इलैक्ट्रीशियन पाठ्यक्रमों में एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इसी प्रकार केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर; अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर में कम्प्यूटर प्रोग्राम एवं असिस्टेन्ट ऑपरेटर (कोपा), कारपेन्टर, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, प्लम्बर एवं सोलर टैक्निशियन का एक एवं दो वर्षीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2023 से 2025 तक की अवधि में उक्त पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षणार्थियों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

ट्रेड	2023-24	2024-25	2025-26
कारपेन्टर	68	75	82
कटिंग एवं स्वीईंग	8	4	14
फीटर	9	10	10
वायरमैन	12	4	12
डीजल मैकेनिक	8	21	5
कोपा	95	57	64
इलेक्ट्रीशियन	53	55	20
प्लम्बर	26	24	24
सोलर टैक्निशियन	—	0	23
योग	279	250	254

3.8 खेलकूद एवं मनोरंजन सुविधा

बंदियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए इन्हें खेलकूद एवं मनोरंजन की सुविधाएं कारागृहों में उपलब्ध करवाई जा रही है। देश विदेश की ताजा घटनाओं की जानकारी एवं ज्ञानवर्धन हेतु समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि बंदियों को उपलब्ध हैं। कारागृहों में टी. वी., रेडियो, कैसेट प्लेयर आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। समय-समय पर केन्द्रीय कारागारों में उपलब्ध प्रोजेक्टर के माध्यम से ज्ञानवर्धक चलचित्र भी बंदियों को दिखाये जाते हैं। बंदियों को खेलकूद, गीत-संगीत, वाद-विवाद, लेखन चित्रकला आदि की प्रतियोगितायें भी करवाई जाती है। राज्य की समस्त केन्द्रीय/जिला कारागृहों में बंदियों के मनोरंजन हेतु केबल कनेक्शन स्थापित कराये गये हैं।

3.9 बंदी कल्याण कोष

कारागार विभाग में उद्योगशालाओं के संचालन तथा बंदियों के कल्याण संबंधी कार्य हेतु बंदी कल्याण कोष संचालित किया जाता है। बंदियों को नजर का चश्मा, परीक्षा शुल्क/पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं खेलकूद, मनोरंजन के उपकरण क्रय करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने/उत्सवों के आयोजन एवं प्रवचन एवं पाठ आदि पर होने वाला व्यय इस कोष से वहन किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक की अवधि में बंदी कल्याण कोष से निम्नानुसार राशि व्यय की गई :-

वर्ष	बंदी कल्याण कोष से व्यय राशि (लाखों में)
2023	33.07
2024	15.00
2025	0.71

3.10 बंदी बैण्ड

राजस्थान राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर पर बंदी बैण्ड एवं केन्द्रीय कारागृह, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर पर बंदी आर्कस्ट्रा संचालित हैं। केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर

पर बेगपाईपर बैण्ड संचालित है। इन कारागृहों पर बंदियों को बैण्ड के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है तथा निजी उत्सवों पर निर्धारित शुल्क पर बंदी बैण्ड भेजे जाते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में इस बैण्ड की प्रस्तुति राज्य स्तर पर भी दी जाती है। केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर के बैण्ड पर बी.बी.सी. द्वारा डाक्यूमेंट्री बनाई गई है। इस बैण्ड में मात्र एक प्रहरी की अभिरक्षा में 20 से 22 बंदी बैण्ड के साथ बाहर समारोहों में भाग लेने जाते हैं।

कारागार विभाग के इस प्रयास को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। बैण्ड से प्राप्त आमदनी राशि का आधा भाग बंदी बैण्ड में कार्य करने वाले बंदियों में वितरित किया जाता है तथा शेष आधे भाग का उपयोग बैण्ड के साजो सामान को क्रय करने, उनकी मरम्मत आदि के लिए उपलब्ध रहता है। वर्ष 2023 से 2025 तक की अवधि में जेल बैण्ड के माध्यम से प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :-

रु0 लाख

वर्ष	प्राप्त राशि	साजो सामान पर व्यय	बैण्ड के बंदियों में वितरित राशि
2023	3.85	1.11	1.49
2024	2.18	0.81	0.53
2025	3.84	0.47	0.83

3.11 अन्य कार्यक्रम

राज्य के कारागृहों में नियमित योग, विपश्यना, ब्रह्माकुमारीज एवं आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। बंदियों को सुधार के प्रति प्रेरित करने के लिये समय-समय पर नैतिक शिक्षा विभिन्न धर्म गुरुओं के माध्यम से दी जाती है। इन कार्यक्रमों से बंदियों का मानसिक तनाव कम होता है तथा अवसाद से छुटकारा मिलता है। सकारात्मक प्रवृत्ति विकसित होने से बंदी अपराधिक प्रवृत्ति से दूर होता है तथा उसमें रचनात्मक कार्यों के प्रति अभिरुचि जागृत होती है।

4. चिकित्सा एवं सुविधाएं

राजस्थान राज्य की कारागृहों में बंदियों के स्वास्थ्य की सुचारु देख-रेख की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस हेतु राज्य की समस्त केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर पूर्णकालीन चिकित्सा

अधिकारियों व पूर्णकालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत हैं तथा समस्त उप कारागृहों हेतु अंशकालीन चिकित्साधिकारियों एवं पूर्ण कालीन मेलनर्स के पद स्वीकृत हैं।

राज्य की केन्द्रीय एवं जिला कारागृहों पर डिस्पेन्सरियां स्थापित हैं, जहां पर बंदियों का इलाज किया जाता है तथा उप कारागृहों पर बंदियों के इलाज हेतु मेलनर्स के पद स्वीकृत हैं। राज्य की कारागृहों में निरुद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु निम्नानुसार चिकित्साधिकारियों एवं पैरा मेडिकल स्टॉफ के पद स्वीकृत हैं :-

पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियो डाइग्नोसिस)	2	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	0
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक)	9	8
क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट	1	0
चिकित्साधिकारी	46	24
फार्मासिस्ट	23	2
सहायक रेडियोग्राफर	7	3
मेल नर्स	93	53
नर्स/दाई	4	3
वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	11	1
लैब टैक्नीशियन	17	9
योग:-	214	104

केन्द्रीय कारागृह, जयपुर एवं जोधपुर में पैथोलोजी लैब भी स्थापित है, जिसमें बंदियों की विभिन्न बीमारियों की जांच हेतु मशीनों एवं उपकरणों यथा अल्ट्रा साउण्ड सिस्टम, (सोनोग्राफी) एक्स-रे मशीन, सेमी ऑटो एनेलाइजर और ऑडियो मॉनिटर आदि की व्यवस्था है। लैब हेतु 2 जूनियर स्पेशलिस्ट (रेडियो डाइग्नोसिस), 2 सहायक रेडियो ग्राफर एवं 8 लैब टेक्निशियन के पद बंदियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वीकृत हैं। समस्त 9 केन्द्रीय, 1 उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर, 2 जिला कारागृह "ए" श्रेणी, 24 जिला कारागृह "बी" श्रेणी एवं खुला बंदी शिविर, सांगानेर, जयपुर पर एम्बुलेन्स की सुविधा भी सुलभ है।

राज्य के कारागृहों में निरुद्ध समस्त बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा (Scale) अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दंडित बंदियों को बिस्तर, कम्बल, वस्त्रादि भी

विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। आवश्यकता होने पर विचाराधीन बंदियों को भी बिस्तर, कम्बल दिये जाते हैं।

राज्य की केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, उदयपुर, अलवर एवं श्रीगंगानगर पर 01 वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (मनोचिकित्सक) का पद सृजित है तथा केन्द्रीय कारागृह, जयपुर पर 01 कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसिन) एवं 01 क्लीनिकल साईकोलॉजिस्ट के भी पद सृजित हैं। राज्य की समस्त केन्द्रीय कारागृहों पर ई.सी.जी., एक्स-रे एवं केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर सोनोग्राफी मशीनें भी उपलब्ध हैं।

गत तीन वर्षों में बंदियों को भोजन, वस्त्रादि एवं चिकित्सा सुविधा पर प्रति बंदी औसत वार्षिक व्यय निम्न है:-

2023-24	रूपये 15183.36
2024-25	रूपये 14851.30
2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	रूपये 14218.25

5. मानव संसाधन

(i) भर्ती/नियुक्ति एवं प्रशिक्षण :- कारागार विभाग में उपाधीक्षक, उप कारापाल एवं प्रहरी के पदों पर भर्ती, सीधी भर्ती के माध्यम से की जाती है। विगत तीन वर्षों में निम्नांकित पदों पर भर्ती की गई है। इनमें मृतक आश्रित की 08 अनुकम्पात्मक नियुक्तियां भी सम्मिलित हैं:-

वर्ष	उपाधीक्षक	उप कारापाल	प्रहरी	कनिष्ठ सहायक	चतुर्थ श्रेणी सेवा
2023	00	02	00	07	04
2024	09	04	00	02	00
2025	00	01	00	17	01

उपाधीक्षक एवं उप कारापाल पद पर नियुक्ति उपरान्त 09 माह का संस्थागत एवं 09 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रहरी पद पर नियुक्ति उपरान्त 06 माह का संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ii) राज्य के विभिन्न कारागृहों में स्वीकृत सुरक्षा अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या एवं उनकी पदवार उपलब्धता (31.12.2025 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

पदनाम	2023		2024		2025	
	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध	स्वीकृत	उपलब्ध
अधीक्षक ग्रेड-I	11	8	11	8	11	09
अधीक्षक ग्रेड-II	18	7	18	7	18	15
उपाधीक्षक	36	13	36	15	43	22
कारापाल	76	60	76	58	82	58
उप कारापाल	188	107	188	105	188	73
मुख्य प्रहरी	613	476	613	472	627	501
प्रहरी	2907	2085	2907	2070	2966	1968
योग	3849	2756	3849	2735	3935	2646

भारत सरकार के आदर्श जेल मेन्यूअल के अनुसार हर छः बंदियों पर एक सुरक्षाकर्मी की उपलब्धता आवश्यक है। राज्य में प्रत्येक सुरक्षाकर्मी पर वर्ष 2023 से 2025 तक औसतन 9 बंदियों का उत्तरदायित्व रहा है। कारागृहों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने एवं अवैध सामग्री की रोकथाम हेतु आर.ए.सी. की सम्पूर्ण बटालियन (13वीं वाहिनी, आरएसी) के 645 जवानों को अलग-अलग 45 कारागृहों पर लगाया गया है।

गत तीन वर्षों में कारागृहों में रिक्त चल रहे विभिन्न संवर्गों के पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियाँ भी प्रदान की गई हैं :-

पदनाम	2023-24	2024-25	2025-26
महानिरीक्षक	00	00	00
उप महानिरीक्षक	01	02	00
अधीक्षक ग्रेड-I	00	05	00
अधीक्षक ग्रेड-II	00	05	00
उपाधीक्षक	00	06	00
कारापाल	22	01	00
उप कारापाल	00	00	00
मुख्य प्रहरी	00	52	00

संस्थापन अधिकारी	01	01	00
प्रशासनिक अधिकारी	05	05	00
अति. प्रशासनिक अधिकारी	12	07	00
सहायक प्रशासनिक अधिकारी	16	10	00
वरिष्ठ सहायक	05	02	00
कनिष्ठ सहायक	00	00	00
सहायक उद्योगशाला पर्यवेक्षक	02	01	00
व्यावसायिक अध्यापक	02	00	00
योग	66	97	00

5.1 प्रशिक्षण

कारागार विभाग का मूल प्रशिक्षण संस्थान कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर में है, जहाँ समस्त नवनियुक्त एवं पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में तेहरवें वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से सुविधाओं में विस्तार के उपरान्त जेल कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस संस्थान में 300 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की क्षमता हो गई है। समय-समय पर आवश्यकतानुसार अन्य प्रशिक्षण संस्थानों यथा सी.आई.एस.एफ. /बी.एस.एफ. प्रशिक्षण संस्थानों पर भी जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाता है।

वर्ष 2023 से 2025 तक की अवधि में विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर दिये गये प्रशिक्षण का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	उपाधीक्षक	कारापाल	उप कारापाल	मुख्य प्रहरी	प्रहरी
2023	01	25	78	244	482
2024	17	23	63	89	540
2025	08	05	38	27	350

उक्त के अतिरिक्त विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर अन्य संस्थानों एवं मुख्यालय कारागार, जयपुर पर भी विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

5.2 राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास

राजस्थान कारागार विभाग में कार्यरत कर्मियों के कल्याणार्थ, कार्मिक कल्याण न्यास उपलब्ध है जो कि पूर्णतः कर्मचारियों के अंशदान से संचालित किया जाता है। वर्ष 2024 में सेवाकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में आश्रित को राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास कोष से आर्थिक सहायता राशि रूपये 11,000/- से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/- की गई है। वर्ष 2023 से 2025 तक की अवधि में न्यास से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं कर्मचारी को गम्भीर बीमारी होने पर आर्थिक सहायता वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	मृतक कर्मचारियों की संख्या	मृतक आश्रितों को सहायता
2023	01	रु. 0.12 लाख
2024	03	रु. 0.00 लाख
2025	02	रु. 0.236 लाख

5.3 राजस्थान कारागार विभाग कर्मचारी कल्याण एवं हितकारी निधि

कारागार विभाग में सेवाकाल की अवधि में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा शारीरिक अयोग्यता/असमर्थता की स्थिति में, जिससे कि वह सेवा करने में असमर्थ हो जाए, स्वयं सदस्य को अथवा उसके परिवार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने एवं कल्याण संबंधी कार्यों हेतु कोष-निधि संचालित की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि एवं विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाली वार्षिक अंशदान राशि सम्मिलित है। वर्ष 2023 से 2025 तक की अवधि में हितकारी निधि से विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक कार्मिकों के आश्रित सदस्यों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को छात्रवृत्ति पर व्यय राशि	विभागीय कल्याणकारी योजनाओं एवं मृतक आश्रित सदस्यों की सहायता पर व्यय राशि
2023	रु. 6.35 लाख	रु. 3.78 लाख
2024	रु. 8.77 लाख	रु. 0.81 लाख
2025	रु. 12.27 लाख	रु. 0.30 लाख

6. नवाचार

6.1 e-prisons and VC:—

राजस्थान पूरे देश में जेलों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की समस्त कारागृहों का ई-प्रिजन्स पर 100 प्रतिशत डाटा ऑनलाईन है।

- राज्य की समस्त जेलों में निरूद्ध बंदियों का 2005 के पश्चात् सभी रिकॉर्ड ऑनलाईन है।
- Prisons Management System में दिनांक 31.12.2025 तक 19.59 लाख प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।
- Visitor Management System में दिनांक 31.12.2025 तक 21.40 लाख प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।
- e-prison पर ICJS के माध्यम से दिनांक 31.12.2025 तक 1.96 लाख प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।

6.2 ई-मुलाकात :-

- ई-प्रिजन्स सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोरोना महामारी को देखते हुए ई-मुलाकात (Video Calling) का प्रारम्भ दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया गया, जो वर्तमान में भी संचालित है। दिनांक 31.12.2025 तक ई मुलाकात से 2.91 प्रविष्टियाँ की जा चुकी हैं।

- राज्य की समस्त कारागृहों में निरुद्ध बंदियों से परिजन/मुलाकाती घर बैठे ई-मुलाकात आवेदन कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात कर सकता है।
- राज्य की सभी कारागृहों पर ई-मुलाकात संचालित है।

6.3 Custody Certificate-

- ई-कस्टडी रिक्वेस्ट हेतु राजकीय अधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त होने पर संबंधित कारागृह द्वारा ई-कस्टडी ऑन लाईन भिजवाये जाते हैं। दिनांक 31.12.2025 तक कुल 13187 ई-कस्टडी सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालयों को भिजवाए गए।

6.4 राजकाज पोर्टल :-

राजकाज पोर्टल के माध्यम से Leave Module, e-file & Dak, APAR/ACR, IPR मोड्यूल कारागार विभाग में पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है।

6.5 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

राजकॉम द्वारा राज्य की 105 कारागृहों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाई गई है, वर्तमान में 105 कारागृहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बंदियों की न्यायालय में पेशी भुगताने की सुविधा प्रदान की जा रही है।

6.6 जेल भवन :-

जिला कारागृह, डूंगरपुर के नवीन भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण होना संभावित है।

6.7 Prison Inmate Calling System :-

बंदियों को दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराने बाबत राज्य की 09 केन्द्रीय कारागृहों, 01 विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा), 1 उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर, 33 जिला कारागृहों, 7 महिला बंदी सुधारगृहों तथा 53 उप कारागृहों पर Prison Inmate Calling System सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से बंदी अपने परिवार/रिश्तेदार/मित्र आदि के चार रजिस्टर्ड कराये गये फोन नम्बरों पर बात कर सकता है।

इन नम्बरों की प्रमाणिकता की जांच ए.टी.एस. द्वारा की जाती है। वार्ता रिकार्ड भी होती है। बंदियों के परिजनों को बंदी के हाल-चाल जानने हेतु तथा कोई भी सूचना के आदान-प्रदान हेतु बहुत दूर से आना पड़ता था। इससे गरीब परिजनों के समय तथा धन का अपव्यय होता था। इस प्रणाली ने बंदियों को अपने अधिवक्ता व परिजनों से वार्ता कराने का वैधानिक तरीका प्रदान किया है।

इस समय बंदियों द्वारा इस प्रणाली का 03.00 लाख मिनट प्रति सप्ताह उपयोग किया जा रहा है। अब तक 10.18 करोड़ मिनट वार्ता हो चुकी है। इससे जेलों में वार्ता हेतु वैध तरीका उपलब्ध कराये जाने से अवैध रूप से चलने वाले मोबाईलों को रोकने में सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई है।

6.8 बंदियों को पेट्रोल पम्प कर स्वरोजगार उपलब्ध कराना:-

राज्य की अग्रांकित चिह्नित कारागृहों (केन्द्रीय/जिला कारागृह, कोटा/जयपुर/अलवर/भरतपुर/अजमेर/बारा/प्रतापगढ़/सीकर/झुन्झुनू/चुरू/बूंदी/झालावाड़) एवं 01 कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर पर बंदियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु रिटेल आउटलेट के माध्यम से पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। केन्द्रीय कारागृह, जयपुर, कोटा, अलवर, भरतपुर, बारा एवं प्रतापगढ़ पर पेट्रोल पम्प स्थापित किया जाकर प्रारम्भ किया जा चुका है। अन्य कारागृहों पर पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने हेतु कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।

6.9 वाहन एवं संसाधन:-

कारागृहों में निरुद्ध बंदियों के खाना बनाने हेतु आधुनिक रसोई घर की सामग्री/उपकरण 3.14 करोड़, कारागृहों में निरुद्ध बंदियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जेल डिस्पेंसरियों के लिए 1.43 करोड़ के सामग्री/उपकरण एवं राशि रूपये 90 लाख के वाहन कार्यालय/कारागृहों के लिए कय कर उपलब्ध कराये गये।

7. विभाग का स्वीकृत बजट आय, व्यय का विवरण

(i) कारागार विभाग का वर्ष 2025-26 का स्वीकृत बजट एवं 31 दिसम्बर, 2025 तक कुल वास्तविक व्यय—

(राशि रू. लाखों में)

उपशीर्ष 2056 जेल		स्वीकृत बजट Budget Estimate	व्यय
001-	निर्देशन एवं प्रशासन		
	राज्य निधि	1536.12	1098.29
	राज्य निधि (आयोजना)	-	-
	के.प्र.यो.	-	-
	प्रभृत	0.01	0
101-	जेल		
(01)	मुख्य जेले		
	राज्य निधि	30847.01	21681.43
	राज्य निधि (आयोजना)	825.00	726.63
	के.प्र.योजना		
	सहायतार्थ अनुदान-12	195.01	142.91
	प्रभृत	0.01	0
102	जेल उत्पाद		
(01)	मुख्य जेले (राज्य निधि)	83.12	81.59
800-	अन्य व्यय		
(01)	जेल प्रशिक्षण विद्यालय (राज्य निधि)	180.23	131.90
(02)	किशोर बंदी सुधार गृह (राज्य निधि)	35.09	23.17
(03)	महिला बंदी सुधारगृह (राज्य निधि)	975.52	736.42
	योग	34677.12	24622.34
4059	राज्य निधि (आयोजना)	2500.00	5.51
	केन्द्रीय प्रायोगिक योजना		
	प्रभृत		
	2059 लोक निर्माण कार्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	700.00	139.62
	महायोग	37877.12	24767.47

(ii) कारागार विभाग का गत 3 वर्ष की आय एवं व्यय का विवरण (राज्य निधि एवं केन्द्रीय प्रायोगिक योजना)

(राशि रू. लाखों में)

वर्ष	स्वीकृत बजट	वर्ष में हुआ व्यय	आय अनुमान	वास्तविक आय
2022-23	31959.82	29909.74	59.00	26.36
2023-24	33730.97	29409.43	38.01	44.37
2024-25 (31.12.2025 तक)	37877.12	24767.47	37.01	41.73 (31.12.2025 तक)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर फोन नं. : 0141-2751417